

I fonk 'kkyk f' k{k d HkrhZ i fØ; k varxZr vkondka grq I kekl; funZ k

1. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 हेतु प्रथम चरण में केवल प्रशिक्षित आवेदक (डी.एड/समकक्ष) योग्यताधारी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है।
2. प्रथम चरण के उपरांत रिक्तियां उपलब्ध/शेष रहने पर अप्रशिक्षित आवेदकों के लिए पृथक से कॉउन्सलिंग आयोजित की जायेगी। जिसकी सूचना विज्ञापन के जरिए अलग से जारी होगी।
3. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 की परीक्षा में उपरोक्तानुसार अर्हताधारी आवेदक प्रदेश के किसी भी जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित सत्यापन केन्द्र में जाकर निर्धारित अवधि में अपने प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन करा सकते हैं।
4. सत्यापन केन्द्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा जिले द्वारा चिन्हांकित संस्था होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु आवेदक का सत्यापन केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
6. आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्र जैसे जाति, विकलांगता, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र में मूल निवासी म.प्र. का लिखा होना अनिवार्य है अन्यथा उसे म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य अभ्यर्थी के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। जन्मतिथि सत्यापन हेतु 10वीं की अंकसूची, योग्यता

सत्यापन हेतु 12वीं एवं डी.एड. की मार्कशीट आदि लेकर सत्यापन केन्द्र में उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र से ही सत्यापन किया जायेगा। छायाप्रति से संबंधित आवेदक का रिकार्ड सत्यापित नहीं किया जायेगा।

7. सुविधा की दृष्टि से चेक लिस्ट/पावती का फॉर्म निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध है जिसे आवेदक सत्यापन अधिकारी को भरकर मूल प्रमाण पत्र पर रिकार्ड हेतु उनकी छायाप्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
8. अभिलेखों के सत्यापन उपरांत सत्यापन अधिकारी द्वारा एम.पी.ऑनलाईन के वेब पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि की जायेगी। पोर्टल से प्राप्त रसीद में आवेदक को एक वेरीफिकेशन नंबर प्राप्त होगा। सत्यापन केन्द्र से बाहर निकलने के पूर्व रसीद में अंकित जानकारी की भलीभांति जांच कर ली जाए। यदि विद्युत अथवा इन्टरनेट की व्यवस्था में व्यवधान के कारण आपको पोर्टल से प्रमाणीकरण की पावती न मिले तो सत्यापन अधिकारी से चेक लिस्ट पर पावती प्राप्त कर ले तथा अगले दिवस सत्यापन केन्द्र पर आकर पोर्टल से प्रिन्ट की हुई अपनी पावती प्राप्त कर ले।
9. तत्पश्चात आवेदक एम.पी.ऑनलाईन के प्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क में जाकर प्रदेश के 313 निकायों (जनपद पंचायत) हेतु अपने पसंद के विकल्प का ऑन लाईन चयन कर सकता है।
10. प्राथमिकता क्रम के चयन हेतु "www.mponline.gov.in" वेबसाईट ओपन करना होगा। ऐसा करने पर होम पेज प्रदर्शित होगा जिस पर "Citizen Services" पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर "Samvida Counseling" पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् "Samvida Counseling" का होम पेज खुलेगा जिसमें "Samvida Varg 3" पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् "Samvida Varg 3" का होम पेज खुलेगा जिसमें "Login For Choice Filling" पर क्लिक करना होगा इसके बाद खुले हुये पेज पर "View Instructions" नाम की लिंक पर क्लिक

करना होगा एवं दिये गये दिशा निर्देशो को भलीभांति पढ़ना होगा । दिये गये दिशा निर्देशो को अच्छी तरह से पढ़ लेने के पश्चात् आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि निर्धारित स्थान पर अंकित करना होगा और "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा । तत्पश्चात् अभ्यर्थी को पासवर्ड तथा डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर (Reference No.) अंकित करना होगा । यदि पूर्व में पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो पासवर्ड में परिवर्तन कर नए पासवर्ड का चुनाव करना होगा जिसमें कम से कम 06 अक्षर/अंक होना चाहिए । परिवर्तित पासवर्ड अंकित करने के पश्चात् "Login For Choice Filling" बटन पर क्लिक करना होगा । यदि पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया था तो वह परिवर्तित पासवर्ड भरकर Login For Choice Filling बटन पर क्लिक करना होगा । तत्पश्चात् च्वाइज फिलिंग का पेज खुलेगा। उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा निकायों (जनपद पंचायत) प्राथमिकता के क्रम के आधार पर च्वाइज/विकल्प भरना होगा । च्वाइज भरने के बाद "Submit list of preference" पर क्लिक करना होगा । तत्पश्चात् जो पेज ओपन होगा उस पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गई च्वाइज प्रदर्शित होंगी जिसमें दो ऑप्शन दिए गए होंगे – "Save" एवं "Change your choice" । यदि अभ्यर्थी चुने हुए विकल्प से संतुष्ट हैं, तो "Save" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एवं अगर परिवर्तन चाहते हैं तो "Change your choice" पर क्लिक कर फिर से प्राथमिकता क्रम च्वाइस बदल सकते हैं। "Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के सुरक्षित विकल्प पुनः प्रदर्शित होंगे । यदि "Save" की हुई च्वाइजेस में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो भुगतान करने के पूर्व "choice filling" की प्रक्रिया पुनः करनी होगी । आपके द्वारा पूर्व में "Save" की हुई च्वाइसेज उसी क्रम में प्रदर्शित होंगी । इच्छित प्राथमिकता क्रम को अंतिम रूप से चयन कर "Lock" करने के लिये "Proceed to Payment to Lock your choice" पर क्लिक कर भुगतान करना होगा । बिना भुगतान करें आपकी च्वाइस लॉक नहीं होगी तथा सीट का आवंटन संभव नहीं होगा । "Lock" करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी संतुष्टी के लिये कई बार बदल सकता है । "Lock" करने के बाद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं होगा ।

- 11 आवेदक के निकाय में आवेदन उपरांत उसे एक प्रिंटेड स्लीप एवं मोबाईल पर सूचना दी जाएगी जिसमें उसमें निकायों के आवेदन के क्रम का उल्लेख होगा।
- 12 आवेदक एम.पी.आनलाइन के पोर्टल पर दिनांक 20 .03. 2013 मेरिट सूची का अवलोकन कर सकेंगे।
- 13 किसी भी निकाय में आवेदक का चयन उसके संवर्ग में पदों की उपलब्धता एवं मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। जिसकी सूचना एम.पी.आनलाइन एवं विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी।